

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF DRINKING WATER & SANITATION

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 4485
ANSWERED ON 27/03/2025

WORKS DONE UNDER JJM IN RAJASTHAN

†4485. DR. MANNA LAL RAWAT:

Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:

- (a) the details of the works being done under the Jal Jeevan Mission (JJM) in Rajasthan, district-wise;
- (b) the number of households ensured to be provided with tap water supply under the said mission so far in Rajasthan;
- (c) whether the Government has received any complaints of bribery and corruption under the said mission in Rajasthan; and
- (d) if so, the details thereof along with the irregularities, bribery and corruption cases from 2018 to 2023?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR JAL SHAKTI

(SHRI V. SOMANNA)

- (a) and (b) Since August 2019, Government of India is implementing Jal Jeevan Mission (JJM), in partnership with States/ UTs including Rajasthan, to make provision of tap water supply to every rural household of the country. Drinking Water is a state subject, and hence, the responsibility of planning, approval, implementation, operation, and maintenance of drinking water supply schemes, including those under the JJM, lies with State/UT Governments. The Government of India supports the states by providing technical and financial assistance.

As reported by the state government of Rajasthan on JJM IMIS, on 15.08.2019, only 11.68 lakh (10.84%) rural households had tap water connections. Since then, around 48.60 lakh additional rural households have been provided with tap water connections under JJM. Thus, as on 24.03.2025, out of 107.75 lakh rural households in state, the provision of tap water supply is available to approximately 60.29 lakh (55.95%) rural households. The district-wise details of households covered with tap water connections in Rajasthan, as on 24.03.2025, is at **Annex-I**.

- (c) and (d) State government of Rajasthan has reported that it has received complaints of bribery and corruption under JJM in state. The state government has also informed that it is closely monitoring the implementation of JJM to ensure transparency and efficiency. The details regarding irregularities, bribery and corruption, as informed by state government, is at **Annex-II**.

**Annexure referred in reply to part (b) of Lok Sabha Unstarred Question no.4485 for
reply on 27.03.2025**

S.No.	District	Total rural HHs	Rural HHs with tap water connections as on 15.08.2019		Rural HHs with tap water connections as on 24.03.2025	
			No.	%	No.	%
1	Ajmer	1,54,870	35,795	11.25	95,811	61.87
2	Alwar	2,51,884	49,841	9.35	1,54,977	61.53
3	Anupgarh	1,26,635	-	-	99,100	78.26
4	Balotra	2,13,127	-	-	1,28,167	60.14
5	Banswara	3,87,971	14,712	4.46	1,33,687	34.46
6	Baran	2,37,642	14,224	6.41	84,482	35.55
7	Barmer	2,73,250	21,469	5.39	51,973	19.02
8	Beawar	1,97,305	-	-	1,26,011	63.87
9	Bharatpur	2,14,551	8,715	2.25	1,29,553	60.38
10	Bhilwara	2,72,909	73,329	16.89	2,23,059	81.73
11	Bikaner	3,09,203	44,073	18.12	1,74,394	56.40
12	Bundi	1,92,414	13,046	6.95	69,918	36.34
13	Chittorgarh	2,93,992	27,830	9.78	84,382	28.70
14	Churu	3,00,702	27,404	9.28	2,02,557	67.36
15	Dausa	2,56,772	12,902	5.12	1,07,172	41.74
16	Deeg	1,76,382	-	-	44,472	25.21
17	Dholpur	1,81,980	6,009	3.20	84,563	46.47
18	Didwana-Kuchaman	2,88,659	-	-	2,42,505	84.01
19	Dudu	66,021	-	-	63,705	96.49
20	Dungarpur	3,06,166	11,040	4.42	90,599	29.50
22	Ganganagar	1,84,311	15,173	5.12	1,68,025	91.16
23	Gangapurcity	1,52,177			89,077	58.54
24	Hanumangarh	2,92,448	77,784	26.80	2,50,373	85.61
25	Jaipur (Gramin)	4,46,671	93,739	17.65	2,68,966	60.22
26	Jaisalmer	1,22,958	2,442	2.35	53,007	43.11
27	Jalore	2,27,356	66,732	19.36	1,41,251	62.13
28	Jhalawar	2,60,395	18,248	7.50	1,83,352	70.41
29	Jhunjhunu	2,72,583	59,874	18.13	1,39,667	51.24
30	Jodhpur (Gramin)	3,34,301	28,007	7.49	1,92,672	57.63
21	Karauli	1,67,877	14,855	6.93	1,06,574	63.48
31	Kekri	1,08,274	-	-	53,262	49.19
32	Khairthal-Tijara	1,46,391	-	-	91,930	62.80
33	Kota	1,61,896	11,016	5.62	75,766	46.80
34	Kotputli-Behror	2,05,754	-	-	1,18,187	57.44
35	Nagaur	3,05,772	86,629	16.92	1,91,912	62.76

S.No.	District	Total rural HHs	Rural HHs with tap water connections as on 15.08.2019		Rural HHs with tap water connections as on 24.03.2025	
			No.	%	No.	%
36	Neem Ka Thana	1,89,403	-	-	1,22,899	64.89
37	Pali	3,05,724	1,12,881	31.22	2,49,224	81.52
38	Phalodi	1,12,461			39,471	35.10
39	Pratapgarh	1,70,006	6,017	3.41	54,618	32.13
40	Rajsamand	2,03,337	65,598	30.65	1,32,567	65.20
41	Salumbar	1,32,977	-	-	56,151	42.23
42	Sanchore	1,58,066	-	-	69,780	44.15
43	Sawai Madhopur	1,42,887	17,740	7.56	90,999	63.69
44	Shahpura	1,55,431	-	-	1,49,934	96.46
45	Sikar	2,69,130	43,633	12.36	1,51,849	56.44
46	Sirohi	1,87,110	42,542	24.67	1,08,310	57.89
47	Tonk	2,20,784	9,311	4.19	1,42,027	64.33
48	Udaipur	4,34,920	41,521	7.72	1,45,956	33.56
Total		1,07,74,835	11,68,553	11.69	60,28,903	55.95

Source: JJM IMIS

Annexure referred in reply to part (d) of Lok Sabha Unstarred Question no.4485 for reply on 27.03.2025

विभागीय जाँच के जल जीवन मिशन से संबंधित प्रकरणों में निलम्बित राजपत्रित अधिकारियों की सूची (स्थिति दिनांक 15.02.2025)

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थगन का विवरण	पुष्टि दिनांक	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई
1	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा श्री पुरुषोत्तम मीणा	अधिकांशी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग परियोजना खण्ड सरदारशहर सहायक अभियन्ता, O&M, PMC, PHED, सरदारशहर	जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी कार्यदेशों के निष्पादन में पद का दुरुपयोग करते हुए जल जीवन मिशन जैसी महती परियोजना के उद्देश्यों पर जानबूझकर प्रतिकूल प्रभाव डालने एवं विभागीय नियमों की पालना नहीं कर पदीप कर्तव्यों के निर्वहन में घोर अनुशासनहीनता कारित किए जाने बाबत् ।	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 20.5.2022	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा द्वारा उक्त निलम्बन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर से दिनांक 26.5.2022 को स्टे आदेश प्राप्त किया है। श्री पुरुषोत्तम मीणा द्वारा उक्त निलम्बन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर से दिनांक 31.5.2022 को स्टे आदेश प्राप्त किया है।	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा एवं श्री पुरुषोत्तम मीणा के विरुद्ध कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 21.11.2022 द्वारा आरोप पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिसकी जाँच कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
2	श्री धर्मेन्द्र यादव,	अधिकांशी अभियन्ता	ग्रामीण खण्ड एनसीआर-प्रथम, अलवर में जारी 33 निविदाओं के संदर्भ में प्राप्त शिकायत पर वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मण्डल, जयपुर द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट अनुसार HDPE पाईपों के नियम विरुद्ध खरीद करने, रु. 1,27,29,784 /- का अनियमित भुगतान करने, फाईव स्टार एनर्जी सेविंग सबमर्सिबल मोटर पम्प सेटों से अत्यधिक कम गुणवत्ता के पम्प सेट की खरीद कर राशि रु. 45,53,105 /- का अनियमित भुगतान करने, अधिकांशी अभियन्ता द्वारा अपने ही स्तर पर अपने अधीनस्थ को स्वयं का तकनीकी सहायक नियम विरुद्ध नियुक्त करने, RTPP ACT 2012 एवं 2013 के नियमों का उल्लंघन करने जैसी गंभीर अनियमितताओं बाबत् ।	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 23.01.2023	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	श्री धर्मेन्द्र यादव, अधिकांशी अभियन्ता द्वारा निलम्बन आदेश के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से आदेश दिनांक 16.5.2023 द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है।	श्री धर्मेन्द्र यादव के विरुद्ध कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग के ज्ञापन दिनांक 20.05.2024 द्वारा सीसीए नियम-16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिसकी जाँच कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

क सं	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थगन का विवरण	पुष्टि दिनांक	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई
3	श्री योगेन्द्र सिंह, श्री दीपेश कुमार चौधरी, श्री युधिष्ठिर मीणा,	तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता,	जल जीवन मिशन के अंतर्गत पचेवर पम्प हाउस से विधानसभा क्षेत्र दूदू के 13 ग्राम एवं ढाणियों की जल योजना में बिना अनुमति OHSR निर्मित किये जाने के संबंध कारित अनियमितता हेतु	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 28.03.2023	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	श्री योगेन्द्र सिंह, श्री दीपेश कुमार चौधरी एवं श्री युधिष्ठिर मीणा द्वारा उक्त निलम्बन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर से दिनांक 13.04.2023 को स्टे आदेश प्राप्त किया है।		प्रकरण में सम्बन्धित राजसेवको के विरुद्ध आरोप पत्र अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रशासनिक विभाग को प्रस्तावित किए जा चुके हैं।
4	श्री विपिन जैन	अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त उदयपुर (वर्तमान में सेवानिवृत्त)	जल जीवन मिशन की गाइडलाईन के विपरीत जाकर 11 मजिला बिल्डिंग के 600 प्लैट्स को शामिल कर तकनीकी स्वीकृति जारी करवाने के अनुचित प्रयास किये गये तथा मुख्य अभियन्ता (जल जीवन मिशन) को फर्जी पत्र द्वारा तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्वीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये तथा योजना के विलम्ब से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ाने की संभावना का सुजन किये जाने तथा श्री जैन द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर नहीं रहते हुए भी उनके पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्वीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जैन द्वारा कारित उक्त कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचरण एवं पदीय दुरुपयोग करने बाबत्।	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 16.05.2023	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	श्री विपिन जैन, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निलम्बन आदेश दिनांक 16.05.2023 के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से आदेश दिनांक 23.08.2023 द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है।	20.6.2023	प्रकरण में श्री विपिन जैन, अधीक्षण अभियन्ता (निलम्बित) जन स्वा. अभि. विभाग, वृत्त उदयपुर के विरुद्ध कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग के ज्ञापन दिनांक से सीसीए नियम-16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किए जा चुके हैं।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थगन का विवरण	पुष्टि दिनांक	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई
5	श्री रामलाल मीणा	तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड आमेट	जल योजना भांकरोदा पर श्री भगवती हरिगेशन, जयपुर द्वारा उत्पादित 90mm व 75mm HDPE पाईप उपयोग में लिए गए। इन दोनों साईजो के पाईपो का फ़ैक्ट्री इंस्पेक्शन तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, खंड आमेट श्री रामलाल मीणा द्वारा दिनांक 9.7.2022 को किया गया, पाईपो की ईनवाईस दिनांक 6.8.2022 को जारी की गई, दिनांक 25.8.2022 को भुगतान हेतु प्रस्तावित 3 रनिंग बिल में उवत पाईपो का 70% भुगतान सत्यापित किया गया जबकि श्री भगवती हरिगेशन, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 29.9.2022 से उवत पाईपो का उत्पादन प्रक्रियाधीन है बाबत अनुबन्धक को सूचित किया गया तथा पाईपो के फ़ैक्ट्री इंस्पेक्शन हेतु भी अनुरोध किया गया । जबकि तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड आमेट श्री रामलाल मीणा द्वारा उवत 90mm व 75mm HDPE पाईपो की QAP मैसर्स श्री भगवती हरिगेशन, जयपुर के पक्ष में दिनांक 30.9.2022 को अनुमोदित की गई।	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 5.7.2023	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	श्री रामलाल मीणा द्वारा उवत निलम्बन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर से दिनांक 03.11.2023 को स्टे आदेश प्राप्त किया है।		श्री रामलाल मीणा, अधिशाषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 20.9.2023 से आरोप पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिसकी जांच कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
6	श्री रवि बवेजा	तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, नगर खण्ड श्रीगंगानगर ।	नगर खण्ड श्रीगंगानगर में अनियमितता, निम्न गुणवत्ता पाई जाने के संबंध में ।	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 1.08.2023	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।		श्री रवि बवेजा, अधिशाषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 26.09.2023 द्वारा सीसीए निमय-16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं, जिसकी जांच कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थागन का विवरण	पुष्टि दिनांक	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई
7	श्री विशाल सक्सेना	तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड शाहपुरा, जिला जयपुर	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्य पूर्णता पत्र दिनांक 28.12.2021 से मैसर्स गणपति ट्यूबवेल कम्पनी, शाहपुरा को जारी प्रमाण पत्र को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा Fake and Fabricated बताया गया है। जिसका श्री सक्सेना द्वारा फर्जी सत्यापन किया गया है।	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 6.9.2023	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।			श्री विशाल सक्सेना के विरुद्ध कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 19.10.2023 से आरोप पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिसकी जांच कार्मिक (क-3/जांच) विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
8	श्री नरेश सिंह	तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता	खण्ड सलूम्वर, जिला उदयपुर में पाई गई अनियमितता, निम्न गुणवत्ता की जांच के संबंध में।	14.12.2023				श्री नरेश सिंह के विरुद्ध कार्मिक कार्मिक (क-3/जांच) विभाग के ज्ञापन दिनांक 08.02.2024 द्वारा सीसीए नियम-16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिसकी जांच कार्मिक (क-3/जांच) विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
9	श्री सिद्धार्थ मीणा, श्री हेमन्त कुमार मीणा, श्री नानगराम बैरवा, श्री धारासिंह मीणा, श्री महाराज सिंह गुर्जर,	तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड महुवा हाल अधिशाषी अभियन्ता, परियोजना, खण्ड करौली, अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड महुवा सहायक अभियन्ता, उपखण्ड महुवा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, अनुभाग महुवा हाल कनिष्ठ अभियन्ता, अनुभाग मण्डावर, उपखण्ड महुवा तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, अनुभाग मण्डावर, हाल कनिष्ठ अभियन्ता, अनुभाग महुवा, उपखण्ड महुवा	माननीय मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 12.02.2024 को विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण शाखा एवं दोसा जिले से संबंधित अन्य उच्च अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन योजना पीपलखेडा, खण्ड महुवा, जिला दोसा के निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं बाबत।	शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 12.02.2024	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	<ul style="list-style-type: none"> श्री सिद्धार्थ मीणा एवं श्री हेमन्त कुमार मीणा द्वारा निम्न आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय से स्थागन आदेश प्राप्त किया गया है। श्री नानगराम बैरवा एवं श्री धारासिंह मीणा को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 9.01.2025 से निलम्बन से बहाल किया गया है। श्री महाराज सिंह गुर्जर को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2024 से निलम्बन से बहाल किया गया है। 	29.02.2024	<ul style="list-style-type: none"> श्री सिद्धार्थ मीणा, श्री हेमन्त कुमार मीणा, श्री नानगराम बैरवा एवं श्री धारासिंह मीणा के विरुद्ध कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 6.12.2024 द्वारा सीसीए नियम-16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं, जिसकी जांच कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। श्री महाराज सिंह गुर्जर के विरुद्ध कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 8.10.2024 से प्रस्ताव स्तर पर समाप्त किया गया है।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थागन का विवरण	पुष्टि दिनांक	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई
10	श्री योगेश मीणा श्री हरिनारायण मीणा	तत्कालीन सहायक अभियन्ता, उपखण्ड दूदू कनिष्ठ अभियन्ता, उपखण्ड दूदू	जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत बीसलपुर दूदू जल प्रदाय योजना में 108 ग्राम एवं 289 ढाणियो हेतु उच्च जलाशय, स्वच्छ जलाशय, पम्प हाउस एवं पाईप लाईन (अनुमानित लागत राशि रूपये 149.81 करोड कार्य में) के कार्यों में कम गहराई पर पेयजल लाईन बिछाने तथा विभागीय अभियन्ता एवं संवेदक द्वारा मिलीभगत कर गैर रिहायशी क्षेत्रों में भू-माफियाओ के संरक्षण एवं व्यक्तिगत लाभ हेतु विभागीय पेयजल वितरण लाईन को अनावश्यक रूप से डालने की शिकायत की जाँच हेतु योजना के तहत किये गये कार्यों का निरीक्षण दल द्वारा मौका मुआयना कर तैयार प्राथमिक जाँच रिपोर्ट अनुसार दूदू नरेना रोड पर मौके पर पेयजल लाईन कम गहराई में लाईन डाली हुई पायी जाने तथा कार्य की माप पुस्तिका में अंकित गहराई मौके पर पाई गई गहराई के अनुरूप नहीं होने, दूदू-मालपुरा रोड पर डाली गई वितरण तंत्रिका का व्यास लगभग 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से तर्कसंगत नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सन्वन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिक्त प्रभार) द्वारा जाँच दल को मौके पर क्षेत्र के लिए अनुमोदित ड्राइंग एवं डिजाईन उपलब्ध नहीं कराने हेतु	1.03.2024	6.3.2024	श्री योगेश मीणा एवं श्री हरिनारायण मीणा के विरुद्ध कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 4.10.2024 द्वारा सीसीए नियम-16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किये गये है, जिसकी जाँच कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

क सं	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थगन का विवरण	पुष्टि दिनांक	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई
11	श्री जे.पी.गुप्ता श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित, श्री मुकेश मानतवाल श्री सुनील माथुर श्री दीपक कुमार सिंह श्री रामसिंह मीणा श्री सार्थ सिंदोलिया	तत्कालीन अधिशापी अभियन्ता (वर्तमान में सेवानिवृत्त) अधिशापी अभियन्ता अधिशापी अभियन्ता सहायक अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	खण्ड बालोतरा (बाडमेर), जन स्वा0 अभि0 विभाग के अधीन प्रगतिरत कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की जांच के दौरान जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाई गई कमियों के संबंध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं प्रशासनिक विभाग की टिप्पणी अनुसार गंभीर अनियमितता बाबत ।	07.05.2024		श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित, श्री मुकेश मानतवाल, श्री सुनील माथुर श्री दीपक कुमार सिंह एवं श्री रामसिंह मीणा द्वारा निलम्बन आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है ।		<ul style="list-style-type: none"> श्री सुनील माथुर, श्री दीपक कुमार सिंह एवं श्री रामसिंह मीणा के विरुद्ध कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 4.12.2024 से सीसीए नियम-16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं, जिसकी जांच कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है । श्री सार्थ सिंदोलिया के विरुद्ध कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 4.12.2024 से प्रस्ताव स्तर पर समाप्त किया गया है ।
12	श्री अनिल कच्छावा	तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता	जलदाय विभाग में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ब्लॉक सावलामें विभिन्न ग्रामों में उच्च जलाशय, खुला कुआं निर्माण, पाईप लाईन बिछाने के कार्य में अनियमितता बाबत । (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज अपराध संख्या 299/2024)	कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025	